

छत्रपति शाहू जी महाराजे विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रकाशनार्थी



(सम्पादकार हुसैन)

अप्रकाशनार्थ

पृ०सं०: सी.एस.जे.एम.यू. / सा० प्रशा० / 853 / 2016

दिनांक: 03.02.2016

**प्रतिलिपि:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सम्पादक, दैनिक जागरण/राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को कानपुर संस्करण में उपरोक्तानुसार सःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
  2. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
  3. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना एवं प्रपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
  4. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी।
  5. सम्पत्ति अधिकारी।
  6. सम्बन्धित पत्रावली।

(सम्यद वकार हुसैन)

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

## CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्यानपुर, कानपुर  
KALYANPUR, KANPUR

Ref. No.: C.S.J.M.U./ Gen. Admin./ 853 /2015-16

Date : 03-02-2016

क्रमांक:

मूल्य रु० 200/- (दो सौ मात्र)

### निविदा प्रपत्र

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं/उत्तर पुस्तिकाओं की दुलाई एवं अन्य कार्य हेतु अनुभवी पंजीकृत ट्रैवेल्स एजेंसियों से विभिन्न प्रकार के वाहन दरों हेतु **दिनांक: 11.02.2016** अपराह्न 2:00 बजे तक, मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी तिथि को अपराह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल स्थित सभा कक्ष में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर “वाहन दरों हेतु निविदा—2016” लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि रु० 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ‘वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम बना हो संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.kanpuruniversity.org](http://www.kanpuruniversity.org) से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, किन्तु डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु० 200/- (रुपये दो सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के नाम से कानपुर में देय होगा।

### कुलसचिव

#### निविदा प्रपत्र का विवरण निम्नवत् है :-

1. ट्रैवेल्स एजेंसी का नाम व पता : .....  
.....  
.....
2. ट्रैवेल्स एजेंसी की पंजीकरण संख्या : .....  
एवं पंजीकरण प्रपत्र की प्रमाणित छायाप्रति
3. ट्रैवेल्स एजेंसी का टैन नं० : .....  
.....
4. ट्रैवेल्स एजेंसी के स्वामी का पैन नं० : .....  
.....
5. निविदा प्रपत्र क्रय करने सम्बन्धी विवरण—  
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं० ..... दिनांक: ..... बैंक का नाम.....
6. सुरक्षा धनराशि रु० 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) का विवरण:  
बैंक ड्राफ्ट/रसीद सं० ..... दिनांक: ..... बैंक का नाम.....

आवेदक के हस्ताक्षर  
मो० नं०.....

14

15

Suresh

## फर्म द्वारा प्रस्तुत दरें :-

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	स्थानीय किराया (250 किमी. तक)	बाहर का किराया (250 किमी. से अधिक)	नाइट चार्ज एवं अन्य
1.	मारुति वैन			
2.	टाटा सूमो, इण्डिका, बोलेरो (नॉन ए.सी.)			
3.	टाटा सूमो, इण्डिका, बोलेरो (ए.सी.)			
4.	क्वालिस, इन्नोवा, टवेरा, स्कार्पियों, इण्डिगो आदि लकजरी गाड़ियाँ			
5.	डी०सी०एम०/आयसर/ट्रक			
6.	छोटा हाथी/लोडर			

**विशेष नोट:** क्रमांक-5 एवं 6 पर उल्लिखित भार-वाहन से सम्बन्धित वाहनों की दर का उल्लेख सम्बन्धित वाहन की भार-क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है सहित करना होगा। किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

## आवश्यक शर्तें एवं निर्देश :—

1. विश्वविद्यालय द्वारा निविदा के आधार पर योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा ₹0 100/- के स्टाम्प पेपर पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से अनुबन्ध करना होगा।
2. योजित ट्रैवेल्स एजेंसी द्वारा ₹0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की सुरक्षा धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो कि वित्त अधिकारी, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के आपकी निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।
3. वाहन का पंजीकरण व कम्प्रीहैंसिव बीमा अद्यतन होना अनिवार्य है। साक्ष्य हेतु प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
4. चालक को सम्पूर्ण ₹५ से प्रशिक्षित होना चाहिए। चालक के पास नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
5. योजित अवधि में वाहन का रख-रखाव तथा उस पर आने वाला सम्पूर्ण व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।
6. एजेंसी के चालक का वेतन तथा अन्य सभी प्रकार का दायित्व एजेंसी का होगा।
7. प्रत्येक चरण के कार्य समाप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने होंगे तथा अलग-अलग कार्य का अलग-अलग बिल प्रस्तुत करना होगा। बिलों में सम्बन्धित कार्यों का विधिवत उल्लेख करना होगा एवं बिल सम्बन्धित अधिकारी/सहायक द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
8. निविदा की अवधि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी। निविदा अवधि में किराये की दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
9. निविदा हेतु सुरक्षा धनराशि के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि केवल बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में ही मान्य होगी। सुरक्षा धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ०डी०आर०/बियरर चेक/आर्डर चेक/एकाउंट पेयी चेक संलग्न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. एजेंसी को किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. ट्रैवल्स एजेंसी के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
12. ट्रैवल्स एजेंसी के स्वामित्व में कितनी गाड़ियाँ हैं, उनका विवरण तथा स्वामित्व के अभिलेख भी संलग्न करना अनिवार्य है।
13. विश्वविद्यालय के गा० कुलपति जी को यह अधिकार है कि वह एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये, कभी भी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दे। किसी भी प्रकार से अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं होगी।
14. फर्म द्वारा दरें संलग्न प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जायें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदा के साथ संलग्न किये जा रहे समस्त प्रपत्रों को निविदादाता द्वारा प्रमाणित व हस्ताक्षरित होना चाहिए।

१४

१५

16. भार-वाहन से सम्बन्धित वाहनों की बरं का उल्लेख सम्बन्धित वाहन की भार-क्षमता जो परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत है सहित करना होगा । किसी भी दशा में अधिक लोडिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
17. भार-वाहक वाहनों से सामान्यतया विश्वविद्यालय की परीक्षा में नोडल केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों पर कोरी उत्तर पुस्तिकार्ये पहुँचाई जायेगी तथा परीक्षा समाप्ति पर उन लिखित उत्तर पुस्तिकार्यों को नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र से मगाने का कार्य लिया जायेगा ।
18. परीक्षा की उत्तर पुस्तिकार्यों को ले जाना तथा वापस लाना एक महत्वपूर्ण कार्य है अतएव इस कार्य में विलम्ब या असावधानी क्षम्य नहीं होगा तथा किसी भी चूक के लिए ट्रैवेल ऐजेंसी पूर्णतः उत्तरदायी होंगी ।
19. किसी भी चूक/उत्तरदायी कृत्य के लिए दण्ड रूप प्रथमार्थः जगा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ट्रैवेल ऐजेंसी का पंजीकरण समाप्त करवाने की कार्यवाही प्रचलित की जायेगी तथा ऐजेंसी को काली सूची में डाल दिया जायेगा ।
20. विश्वविद्यालय को हानि (आर्थिक/प्रतिष्ठा) की स्थिति पहुँचाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी तथा हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ऐजेंसी की सम्पत्ति से तथा अन्यथा की स्थिति में ऐजेंसी के स्वामी से वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।
21. हानि के आकलन के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर इस सम्बंध में कार्यवाही की जायेगी ।
22. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का निर्णय अंतिम होगा तथा उभय पक्षों पर वाध्यकारी होगा ।

कुलसचिव